छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

कार्यालय आदेश

क्रमांक 1489 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(b) के अंतर्गत् दिनांक 07/03/2016 को जारी निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लाल / नारंगी / हरा / सफेद श्रेणी में वर्गीकरण के लिए संशोधित मापदण्ड के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण किया जाना है। तद्नुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नवीन वर्गीकरण के आधार पर उद्योगों की सूची तैयार की गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी सलाह दी गई है कि सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों को बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जावे तथा इस श्रेणी के उद्योगों द्वारा मंडल को उद्योग स्थापना/संचालन की सूचना देना ही पर्याप्त माना जावे।

Ease of Doing Business के अंतर्गत् उद्योगों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस आदेश की जारी होने की तिथि के पश्चात् सफेद श्रेणी के उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल स जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों में वर्णित प्रकिया के तहत् जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाकर सफेद श्रेणी के उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना/संचालन की पूर्व सूचना मंडल मुख्यालय/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दिया जाना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '25' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '21' के सम्मति प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों के पालन हेतु पर्याप्त माना जावेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

4/6/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

D/CECB/Ease of Doing Business/Ease of Doing Business/Office Order

क्रमांक 1490/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर / बिलासपुर / भिलाई – दुर्ग /रायगढ़ / कोरबा / जगदलपुर / अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

5/6/16

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)